

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
खड़िया परियोजना
(मिनिरातन कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
Khadia Project
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

थाना- शक्तिनगर, जनपद-सोनभद्र (उ. प्र.), पिन - 231222/ Thana-Shaktinagar, Dist. Sonebhadra (U.P.) Pin- 231222
Phone: 05446- 232274, (FAX) 05446- 232274 Email: cgm.khd@gmail.com, website : www.ncil.in

KHD/GM / Mining / Env / 53.142 Ha /25-26/ 5699

Date: 24/07/2026

To,
The Divisional Forest Officer
Singrauli Forest Division
Waidhan, Singrauli

Sub: - Regarding submission of compliance status of conditions stipulated in 'In principle' approval for diversion of 53.142 ha forest land in compartment No PF-261, Waidhan Range of Singrauli Forest Division for Khadia Expansion Open Cast Coal Mine Project by M/s Northern Coalfields Ltd. (NCL) under Singrauli District of Madhya Pradesh (FP/MP/MIN/149270/2021)

Ref.: - (1) Online proposal no. FP/MP/MIN/149270/2021 in Parivesh 1.0.
(2) In Principle approval granted on 16.06.2025.

Dear Sir,

Khadia OCP has applied for diversion of 53.142 Ha forest land falling in in compartment No PF-261, Waidhan Range of Singrauli Forest Division vide Online proposal no. FP/MP/MIN/149270/2021, for which In Principle approval for diversion has been granted on 16.06.2025.

The point wise compliance status of the conditions stipulated in 'In Principle' approval (Stage-I FC) is enclosed herewith along with No Objection Certificate issued by District Magistrate, Singrauli as per 'Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006'.

It is requested to kindly forward the application for issuance of Final Approval (Stage-II FC) for diversion of 53.142 ha forest land in compartment No PF-261, Waidhan Range of Singrauli Forest Division for Khadia Expansion Open Cast Coal Mine Project by M/s Northern Coalfields Ltd. (NCL) under Singrauli District of Madhya Pradesh.

Yours faithfully,

General Manager
Khadia Area

Copy to:-

- (1) APCCF (Land Management), MP Forest Department, Bhopal
- (2) General Manager (Environment & Forest), NCL Singrauli

NORTHERN COALFIELDS LIMITED
KHADIA OPENCAST PROJECT

**Compliance Report of 'in-principle' approval for diversion of 53.142 ha forest land
in compartment No. PF-261 of Range Waidhan under Singrauli Forest Division**

Online Proposal No.: FP/MP/MIN/149270/2021

Date of 'In Principle' approval:- 16.06.2025.

S.No.	Condition	Status of Compliance (As on 24.01.2026)
i.	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	Agreed. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.
ii.	The user agency/NCL shall ensure the maintenance of the safety zone around the entire cluster of operational mines in the landscape;	Agreed and will be complied. NCL shall ensure the maintenance of the safety zone around the entire cluster of operational mines in the landscape. An undertaking in this behalf is enclosed as Undertaking-A.
iii.	A part of the area earlier diverted for the Bina OCP is proposed to be used for Khadia OCP. In this regard the state has to ensure that such transfer is allowed only with the prior approval of the central government;	Agreed. For the purpose of transfer of land from Bina OCP, an online application has already been made on Parivesh portal with proposal no. FP/MP/MIN/QRY/513886/2024 on 09.12.2024.
iv.	Reclamation works have been done by the User agencies in various mines in the landscape. However, there is a need to strengthen and improve upon the reclamations. At many places gully erosions due to rainfall were noticed which are required to controlled by employing various appropriate measures. A plan for the restoration/reclamation of such areas shall be prepared and executed by the user agency in consultation with the state forest department;	Agreed and will be complied. A plan for the restoration/reclamation of eroded areas shall be prepared and executed in consultation with the state forest department. An undertaking in this behalf is enclosed as Undertaking-B.
V.	Compensatory Afforestation on the identified Non-Forest/ Revenue land over an area of 53.142 ha in the Village Ghughari Range Hatta, Khasra No 73, Damoh District of Madhya Pradesh State shall also be raised at the project cost under the supervision of the State Forest Department and afforestation works shall start within two years from the date of final approval and maintained thereafter in accordance with the approved CA scheme in consultation with the State Forest Department;	Agreed and complied. Compensatory Afforestation on the identified Non-Forest/ Revenue land over an area of 53.142 ha in the Village Ghughari Range Hatta, Khasra No 73, Damoh District of Madhya Pradesh State shall also be raised at the project cost. The amount for Rs. 2,31,36,838/- for compensatory afforestation as demanded by DFO Singrauli and duly verified by Nodal Officer (Land Management), Bhopal has been deposited in the CAMPA head through Parivesh Portal via UTR no. CMS/001865206296 on 09.01.2026. Same has been verified by the bank and is reflected in Part-II of the application at Parivesh.

S.No.	Condition	Status of Compliance (As on 24.01.2026)
		<p>Further, payment of supervision charge of 10 % of amount of compensatory afforestation i.e. Rs. 23,13,683/- has also been deposited in the Revenue Head of the MP Treasury with code as - 0406-01-800-0229 on 24.01.2026, in compliance of directive issued vide letter no. 5201/dated 07.12.2023 issued by APCCF (Land Management), Bhopal. Copy of the receipt is enclosed as Annexure-1.</p>
vi.	<p>The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation as per the approved CA scheme at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal;</p>	<p>Complied.</p> <p>The cost of raising and maintaining the compensatory afforestation as per the approved CA scheme at the current wage rate in consultation with Madhya Pradesh Forest Department in the account of CAMPA of the Madhya Pradesh State has been transferred through online portal.</p> <p>The amount for Rs. 2,31,36,838/- for compensatory afforestation as demanded by DFO Singrauli and duly verified by Nodal Officer (Land Management), Bhopal has been deposited in the CAMPA head through Parivesh Portal via UTR no. CMS/001865206296 on 09.01.2026. Same has been verified by the bank and is reflected in Part-II of the application at Parivesh.</p> <p>Further, payment of supervision charge of 10 % of amount of compensatory afforestation i.e. Rs. 23,13,683/- has also been deposited in the Revenue Head of the MP Treasury with code as - 0406-01-800-0229 on 24.01.2026, in compliance of directive issued vide letter no. 5201/dated 07.12.2023 issued by APCCF (Land Management), Bhopal. Copy of the receipt is enclosed as Annexure-1.</p>
vii.	<p>The cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the identified CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;</p>	<p>Complied.</p> <p>The cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars and raising & maintaining the compensatory afforestation for 10 years with anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years has been considered in CA scheme, duly approved by CCF, Sagar region, Madhya Pradesh. Copy of the CA scheme prepared is enclosed as Annexure-2.</p> <p>Further, as per approved scheme, the amount for Rs. 2,31,36,838/- for compensatory afforestation as demanded by DFO, Damoh, DFO Singrauli and duly verified by Nodal Officer (Land Management), Bhopal has been deposited in the CAMPA head through Parivesh Portal via UTR no. CMS/001865206296 on 09.01.2026. Same has been verified by the bank and is</p>

S.No.	Condition	Status of Compliance (As on 24.01.2026)
		<p>reflected in Part-II of the application at Parivesh.</p> <p>Further, payment of supervision charge of 10 % of amount of compensatory afforestation i.e. Rs. 23,13,683/- has also been deposited in the Revenue Head of the MP Treasury with code as - 0406-01-800-0229 on 24.01.2026, in compliance of directive issued vide letter no. 5201/dated 07.12.2023 issued by APCCF (Land Management), Bhopal. Copy of the receipt is enclosed as Annexure-1.</p>
viii.	The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the final approval;	<p>Complied.</p> <p>The non-forest land identified for raising compensatory afforestation has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department. The true copy of mutation is enclosed as Annexure 3.</p>
ix.	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department or the revenue forest land, as the case may be, shall be notified by the State Government as Protected Forests under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section(s) of the local Forest Act, before handing over the forest land to the user agency;	<p>Compliance in Progress.</p> <p>After completion of transfer and mutation of 53.142 ha non-forest land, request has been made to State Government of Madhya Pradesh for notification of the land as Protected Forests under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section(s) of the local Forest Act.</p> <p>Further, CCF, Sagar region after due verification, has forwarded the proposal to PCCF (Working Plan and Forest Land Records), Bhopal for notification under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 vide letter no. 1653 dated 30.12.2025 (Copy enclosed as Annexure- 4).</p> <p>It is hereby undertaken that non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as Protected Forests under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 before handing over the forest land.</p> <p>An undertaking by the User Agency in this regard is enclosed as Undertaking C.</p>
x.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC (pt.) dated 29.12.2023 in this regard;	<p>Agreed and Complied.</p> <p>Payment of Net Present Value (NPV) amounting Rs. 6,52,89,730/- as demanded by Divisional Forest Officer, Singrauli has been deposited into CAMPA head of Madhya Pradesh State through Parivesh portal vide UTR no. UTIBR72025083000045331 on 30.08.2025. Same has been verified by the bank and is reflected in Part-II of the application at Parivesh.</p>

S.No.	Condition	Status of Compliance (As on 24.01.2026)
xi.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	Complied An Undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India is enclosed herewith as Undertaking D .
xii.	All the funds received from the user agency under the proposal shall be transferred/deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.	Complied. All the funds under the proposal i.e. payment of NPV and compensatory afforestation has been transferred/deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
xiii.	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and area earmarked for CA in the e-Green watch portal of FSI, before handling over forest land to the user agency	Compliance is pertaining to Forest Department, State Govt. of MP.
xiv.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	Compliance in Progress. Application for obtaining Terms of Reference for obtaining Environmental Clearance has been made vide proposal no. IA/UP/CMIN/556819/2025. An undertaking by the User Agency in this regard is enclosed as Undertaking E .
xv.	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined out area. The User Agency shall prepare a detailed plan for life of project as per mining plan, clearly linking the progress of mining and felling of the trees. Felling of trees shall be done, when it is absolutely necessary in phase-wise manner in the areas which become due for mining as per mining plan. The concurrent Reclamation Plan as per the approved Mining Plan shall be executed by the User Agency from the very First year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation	Agreed and will be complied. An undertaking by the User Agency in this regard is enclosed as Undertaking F .

S.No.	Condition	Status of Compliance (As on 24.01.2026)
	activities are satisfactorily executed;	
xvi.	The user agency shall prepare a schedule for surrender of the mined out and reclaimed forest land in accordance with existing mining plan and submit the same along with an undertaking to surrender the mined out and reclaimed forest land as per such schedule to the MoEF&CC before grant of 'Final' approval under the Adhiniyam for diversion of the said forest land;	Agreed and will be complied. An undertaking by the User Agency in this regard is enclosed as Undertaking G.
xvii.	The rehabilitated forest area after closure of mining operations shall be handed over to the State Forest Department for sustainable forest management in the future;	Agreed and will be complied. The rehabilitated forest area after closure of mining operations will be handed over to the State Forest Department for sustainable forest management in the future. An undertaking by the User Agency in this regard is enclosed as Undertaking H.
xviii.	Safety Zone Management: Following activities, at project cost, shall be undertaken by the user agency for the management of safety zone as per relevant guidelines issued by the Ministry's guidelines: a. User agency shall ensure demarcation of safety zone (7.5-meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and deploying adequate number of watchers under the supervision of the State Forest Department; b. Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, should be properly fenced by the user agency; c. Safety zone shall be maintained as green belt around mining lease and to ensure dense canopy in the area, regeneration shall be taken up in this area by the user agency at project cost under the supervision of the State Forest Department; and d. The State Government and the user agency shall ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms.	Agreed and will be complied. a. Agreed and will be complied. Work of erection of 6 feet high RCC boundary pillars for demarcation of safety zone (7.5-meter strip all along the inner boundary of the mining lease area) with barbed wire fencing will be done after handover, as no construction, fencing and pillaring can be done before handover. b. Agreed and will be complied. c. Agreed and will be complied. d. Agreed and will be complied. Safety zone will be maintained as per the prescribed norms.
xix.	Following activities, as per approved plan / schemes, shall be undertaken in the lease area by the User Agency under the supervision of the State Forest Department: a. Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of stream shall be implemented within a period of three years	Agreed and will be complied. Mitigative measures as described in the approved Mining and Mine Closure Plan shall be implemented at the Project's cost. Agreed. Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of stream shall be implemented within a period of three years

S.No.	Condition	Status of Compliance (As on 24.01.2026)
	<p>with effect from the issue of 'Final' approval in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department;</p> <p>b. Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion in accordance with the approved Plan/scheme;</p> <p>c. Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour in accordance with the approved Plan/Scheme;</p> <p>d. Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching, in accordance with the approved scheme, so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28°;</p> <p>e. No damage shall be caused to the top-soil and the user agency will follow the top soil management plan.</p>	<p>with effect from the issue of 'Final' approval.</p> <p>Agreed. Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds shall be done within the mine lease area as per approved mining plan/ mine closure plan.</p> <p>Agreed. check dams, retention /toe walls shall be constructed to arrest sliding down of the excavated material.</p> <p>Agreed. The overburden dumps shall be stabilised as per approved Mining Plan and the overall angle of repose shall be kept within 28 degrees.</p> <p>Agreed. No damage shall be made to top soil and top soil shall be used in biological reclamation of overburden dumps in accordance with Mining Plan.</p>
xx.	The validity of approval granted under the Adhiniyam shall be for a period coterminous with the validity of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended from time to time or Rules framed there under, or for such period as may be specified by the Central Government;	Agreed.
xxi.	The User Agency either himself or through the State Forest Department shall undertake gap planting and soil and moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.40), if any, located within the periphery of 100 m from outer perimeter of the mining lease as per approved plan for plantation and SMC activities submitted along with compliance of 'in-principle' approval.	<p>Complied</p> <p>It is to bring to your kind attention that the proposed 53.142 Ha forest land to be diverted is surrounded by already diverted forest land to Bina OCP of M/s NCL vide File no. 8-69/2018-FC dated 16.04.2024 & 8-58/2005-FC dated 13.08.2007 and Dudhichua OCP of M/s NCL vide File no. 8-57/2017-FC dated 03.05.2021.</p> <p>Further, it is to state that the current density of the surrounding area is 0.5 (before handing over the diverted forest land to user agencies).</p> <p>In view of the above, it is requested to kindly consider this condition as complied.</p>
xxii.	The User Agency shall regularly undertake desilting of village tanks and other water bodies, located within five km from the mine lease boundary, as per approved plan, to	<p>Agreed.</p> <p>An undertaking by the User Agency in this regard is enclosed as Undertaking I.</p>

S.No.	Condition	Status of Compliance (As on 24.01.2026)
	mitigate the impact of project on such tanks/water bodies	
xxiii.	The User Agency shall comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and any other areas which may have been disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner.	Agreed. An undertaking by the User Agency in this regard is enclosed as Undertaking J.
xxiv.	Adequate care shall be taken to check any rolling of overburden/dumps beyond the designated area and to check soil erosion caused due to mining activities.	Agreed. Mitigative measures as described in the approved Mining and Mine Closure Plan shall be implemented at the Project's cost.
xxv.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the 'in-principle' approval	Agreed and complied. In the proposed forest area, mining will be done as per approved Mining Plan where top soil management is already planned at Project cost. Further, it is to bring to your kind attention that the proposed 53.142 Ha forest land to be diverted is surrounded by already diverted forest land to Bina OCP of M/s NCL vide File no. 8-69/2018-FC dated 16.04.2024 & 8-58/2005-FC dated 13.08.2007 and Dudhichua OCP of M/s NCL vide File no. 8-57/2017-FC dated 03.05.2021. The surrounding diverted land is proposed for mining and allied activities by Bina OCP and Dudhichua OCP. Both the projects are having duly approved Mining plan where management of top soil is already planned at project cost. An Undertaking in this behalf is enclosed herewith as Undertaking- K
xxvi.	The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones	Agreed. As per approved Mining Plan, there is no R&R involved in proposed expansion of Khadia OCP.
xxvii.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled;	Agreed and will be complied. Possibility of Translocation will be explored in consultation with state forest department depending upon site condition.
xxviii.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest	Agreed. The cost of felling of trees shall be deposited by

S.No.	Condition	Status of Compliance (As on 24.01.2026)
	Department;	the Khadia OCP upon demand of the same by Madhya Pradesh Forest Department.
xxix.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	<p>Compliance in Progress.</p> <p>Application for obtaining Terms of Reference for obtaining Environmental Clearance has been made vide proposal no. IA/UP/CMIN/556819/2025.</p> <p>An undertaking by the User Agency in this regard is enclosed as Undertaking E.</p>
xxx.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>LPG gas is provided to all the workers of the mine. Therefore, there will be no damage and pressure on nearby forest areas.</p>
xxxi.	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;	<p>Agreed.</p> <p>The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable will be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates</p>
xxxii.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal except the change in land use allowed on the forest land vide Ministry's guideline dated 26.12.2024;	Agreed and will be complied.
xxxiii.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	Agreed and will be complied.
xxxiv.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	Agreed and will be complied.
xxxv.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>An undertaking by the User Agency in this regard is enclosed as Undertaking L.</p>
xxxvi.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly	<p>Agreed and will be complied.</p> <p>The annual self-compliance report of the conditions of Forest Clearance will be submitted to State Govt. of MP, to Regional Office MoEF&CC Bhopal and to MoEF&CC Delhi by the</p>

S.No.	Condition	Status of Compliance (As on 24.01.2026)
		end of March every year.
xxxvii.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	Agreed and will be complied.
xxxviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry on dated 29.12.2023	Agreed.
xxxix.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Agreed and will be complied. The compliance report of the conditions of Forest Clearance will be submitted at Parivesh portal.


 24/1/2026
General Manager
Khadia Project



नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Northern Coalfields Limited

(मिनीरल कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र) उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonbhadra (U.P.) 231222

Phone: 05446- 232274. (FAX) 05446- 232274. email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in




Undertaking A

UNDERTAKING

The user agency/NCL shall ensure the maintenance of the safety zone around the entire cluster of operational mines in the landscape

In compliance to condition no.-ii of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16.06.2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake to ensure the maintenance of the safety zone around the entire cluster of operational mines in the landscape.


24/01/2026
General Manager
Khadia Project



नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Northern Coalfields Limited

(मिनीरल कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र) उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonebhadra (U.P.) 231222



Phone: 05446- 232274. (FAX) 05446- 232274. email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in

Undertaking B

UNDERTAKING

Reclamation works have been done by the User agencies in various mines in the landscape. However, there is a need to strengthen and improve upon the reclamations. At many places gully erosions due to rainfall were noticed which are required to controlled by employing various appropriate measures. A plan for the restoration/reclamation of such areas shall be prepared and executed by the user agency in consultation with the state forest department.

In compliance to condition no.-iv of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16.06.2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake that a plan for the restoration/reclamation of areas having gully erosion at Khadia OCP shall be prepared and executed by the user agency in consultation with the state forest department.


24/01/2026
General Manager
Khadia Project




नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Northern Coalfields Limited

(मिनीरत्न कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र) उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonebhadra (U.P.) 231222


Phone: 05446- 232274. (FAX) 05446- 232274. email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in

Undertaking - C

UNDERTAKING

The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department or the revenue forest land, as the case may be, shall be notified by the State Government as Protected Forests under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section(s) of the local Forest Act, before handing over the forest land to the user agency

In compliance to condition no.-ix of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16.06.2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake that after completion of transfer and mutation of 53.142 ha non-forest land, request has been made to State Government of Madhya Pradesh for notification of the land as Protected Forests under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section(s) of the local Forest Act and will be notified before handover the proposed forest land to user agency.


24/11/2026
General Manager
Khadia Project



नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Northern Coalfields Limited

(मिनीरल कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र) उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonebhadra (U.P.) 231222

Phone: 05446- 232274. (FAX) 05446- 232274. email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in

Undertaking D

UNDERTAKING

At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;

In compliance to condition no.-xi of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16/06/2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;


24/01/2026
General Manager
Khadia Project



नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Northern Coalfields Limited

(मिनीरल कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र) उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonebhadra (U.P.) 231222

Phone: 05446- 232274 (FAX) 05446- 232274 , email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in



Undertaking E

UNDERTAKING

The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.

In compliance to condition no.-xiv, xxix of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16/06/2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake to obtain the Environment Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986.

h
24/04/2026
General Manager
Khadia Project
I



नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड Northern Coalfields Limited

(मिनीरल कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र) उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonebhadra (U.P.) 231222

Phone: 05446- 232274. (FAX) 05446- 232274. email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in




Undertaking F

UNDERTAKING

The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined out area. The User Agency shall prepare a detailed plan for life of project as per mining plan, clearly linking the progress of mining and felling of the trees. Felling of trees shall be done, when it is absolutely necessary in phase-wise manner in the areas which become due for mining as per mining plan. The concurrent Reclamation Plan as per the approved Mining Plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed.

In compliance to condition no.-xv of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16.06.2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake to do mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined out area. The User Agency shall prepare a detailed plan for 10 years/life of project as per mining plan, clearly linking the progress of mining and felling of the trees. Felling of trees shall be done, when it is absolutely necessary in phase-wise manner in the areas which become due for mining as per mining plan. The concurrent Reclamation Plan as per the approved Mining Plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed.


24/01/2026
General Manager
Khadia Project



नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Northern Coalfields Limited

(मिनीरल कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.आ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र) उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonebhadra (U.P.) 231222


Phone: 05446- 232274. (FAX) 05446- 232274. email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in

Undertaking G

UNDERTAKING

The User Agency shall prepare a schedule for surrender of the mined out and reclaimed forest land in accordance with existing mining plan and submit the same along with an undertaking to surrender the mined out and reclaimed forest land as per such schedule to the MoEF&CC before grant of 'Final' approval under the Adhiniyam for diversion of the said forest land

In compliance to condition no.-xvi of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16/06/2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake to surrender the mined-out and reclaimed forest land as per the approved mining plan and mine closure plan after completion of mining activities.


24/01/2026
General Manager
Khadia Project



नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Northern Coalfields Limited

(मिनीरल कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र) उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonbhadra (U.P.) 231222

Phone: 05446- 232274. (FAX) 05446- 232274. email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in

Undertaking H

UNDERTAKING

The rehabilitated forest area after closure of mining operations shall be handed over to the State Forest Department for sustainable forest management in the future;

In compliance to condition no.-xvii of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16/06/2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake that rehabilitated forest area after closure of mining operations will be handed over to the State Forest Department for sustainable forest management in the future.


24/01/2026
General Manager
Khadia Project



नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Northern Coalfields Limited

(मिनीरल कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र) उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonebhadra (U.P.) 231222

Phone: 05446- 232274. (FAX) 05446- 232274. email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in



Undertaking I

UNDERTAKING

Undertaking the User Agency shall regularly undertake desilting of village tanks and other water bodies, located within five km from the mine lease boundary, as per approved plan, to mitigate the impact of project on such tanks/water bodies.

In compliance to condition no.-xxii of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16/06/2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake to regularly undertake desilting of village tanks and other water bodies, located within five km from the mine lease boundary, as per approved plan, to mitigate the impact of project on such tanks/water bodies.

24/01/2026
General Manager
Khadia Project



नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Northern Coalfields Limited

(मिनीरत्न कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonebhadra (U.P.) 231222


Phone: 05446- 232274 (FAX) 05446- 232274, email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in

Undertaking J

UNDERTAKING

The User Agency shall comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and any other areas which may have been disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner.

In compliance to condition no.-xxiii of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16/06/2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake to comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and any other areas which may have been disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner.


24/01/2026
General Manager
Khadia Project



नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Northern Coalfields Limited

(मिनीरत्न कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonebhadra (U.P.) 231222

Phone: 05446- 232274 (FAX) 05446- 232274, email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in




Undertaking K

UNDERTAKING

The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the 'in-principle' approval.

In compliance to condition no.-xxv of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16/06/2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake to conserve the top soil with its reuse in biological reclamation as per approved Mining Plan of Khadia OCP.


General Manager
Khadia Project



5 DECADES OF UNEARTHING ENERGY



नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड Northern Coalfields Limited

(मिनीरल कंपनी) (A Miniratna Company)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ((A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager

Khadia Area, NCL

CIN- U10102MP1985GOI003160

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट- पो.ऑ.शक्तिनगर, जिला सोनभद्र) उ.प्र.231222 (./ PO. Shaktinagar Dist. Sonebhadra (U.P.) 231222


Phone: 05446- 232274 (FAX) 05446- 232274, email: cgm.khd@gmail.com website: www.nclcil.in

Undertaking L

UNDERTAKING

The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project

In compliance to condition no.-xxxv of FC Stage-I clearance granted to Khadia OCP on 16/06/2025 in Singrauli District of Madhya Pradesh, I hereby undertake to comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project


General Manager
Khadia Project



**Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government**



TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	NCL KHADIA PROJECT
Address	MP TREASURY, DAMOH, Damoh, Madhya Pradesh - 470661
District selected for Payment	Damoh
Unique Registration Number (URN)	MPTURN240120260000646
Department and Office Name	Common Challan Entry, Forest
Challan Payment Period	2025-2026

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT040624012026000023	2026-01-24 to 2026-01-24	0406-01-800-0229 (Other Receipts- Miscellaneous receipts)	SBIN0006159040624012026768334	051/9999999/0406/01/26/003386	2313683.00

Total Amount(in figures)	23,13,683.00
Total Amount(in words)	Twenty Three Lakh Thirteen Thousand Six Hundred Eighty Three Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CK00NKMUZ2
Scroll No	76832
Scroll Date	24/01/2026
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	24/01/2026 12:03:26
Transaction Status	Success

कार्यालय वन संरक्षक, वन वृत्त सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2025/84


सागर दिनांक : 22/08/2025

कार्यालय वनमंडल अधिकारी दमोह के पत्र क्रमांक/मा.चि./907 दिनांक 22/08/2025 के अनुक्रम में इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2025/114 दिनांक 05/09/2024 द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

मध्य प्रदेश बुक ऑफ फायनेंस पावर्स 1995 भाग-दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकार में संशोधन उपरांत म.प्र.शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 1194/191/2022/नियम/चार भोपाल दिनांक 14/07/2022 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनमंडल अधिकारी दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/मा.चि./907 दिनांक 22/08/2025 द्वारा संबंधित प्रकरण में वनमंडल सिंगरौली में प्रभावित वन भूमि रकवा 53.142 हेक्टर के बदले परिक्षेत्र सागौनी अंतर्गत के निम्नांकित स्थल रकवा 53.142 hac. का 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना वृक्षारोपण (वर्ष 2025-26 से 2035-36) प्राक्कलन अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के अनुक्रम में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र	वनमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	तहसील	परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा क.	रकवा हे.में	राशि (रु.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दमोह	Khadia Expansion Open Cast Project FP/MP/MIN/149270/2021	पटेरा	सागौनी	घुघरी	73	53.142	23136838

1. मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम तथा एवं सेवा उपाजन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के प्रावधानों का पालन किया जावे।
2. विकास कक्ष एवं कैम्पा कक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये सुसंगत दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित हो।
3. उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (रोषण पंजी/मेजरमेंट बुक एवं अन्य संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रमाणक में भी इसका उल्लेख किया जावे।) नियमानुसार किया जावेगा।
4. कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावे।
5. प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन अथवा कार्य तादाद की पूर्ति प्रशासकीय अनुमोदन (अर्थात बजट आवंटन/भुगतान हेतु राशि उपलब्धता अनुसार) के अधीन होगा। केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे। मुख्यालय स्तर से आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावे।
6. उपरोक्त कार्य के डिस्प्ले बोर्ड पर वृक्षारोपण की संपूर्ण जानकारी के साथ कैम्पा द्वारा निर्धारित LOGO आवश्यक रूप से बनवाया जावे।
7. वनमंडलाधिकारी कार्य पूर्ण उपरांत कार्य की सम्पूर्ण जानकारी E-Green watch Portal & PMS पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।
8. उपरोक्त कार्य के क्रियान्वयन में समय-समय पर जारी सुसंगत शासन/विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय अ.प्र.मु.व.सं. (कक्ष-भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./5201, दिनांक 07.12.2023 एवं म.प्र.शासन वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का परिपत्र क्र./एफ-25-36/2005/10-3/2002, भोपाल दिनांक 09 अक्टूबर 2023 के अनुक्रम में परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जावे एवं सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करते समय वनमण्डलाधिकारी, पर्यवेक्षण शुल्क की राशि आवेदक संस्थान से नियमानुसार जमा कराने बावत् आवश्यक कार्यवाही करें।


 प्रद्युमन सिंह मदीरिया
 वन संरक्षक
 सागर वृत्त सागर

सागर दिनांक 22/08/2025

क्रमांक / व्यय / कैम्पा-2025 / 1243

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मंडल अधिकारी दमोह की ओर उनके संदर्भित पत्र क्रमांक/मा.वि./907 दिनांक 22/08/2025 के संदर्भ में अनुसूचित वृक्षारोपण योजना की प्रति संलग्न कर अग्रेषित।
5. वनमंडल अधिकारी सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर
MC

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



प्रोजेक्ट रिपोर्ट

योजना	— क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य।
मद का नाम	नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की खडिया
परिक्षेत्र का नाम	— विस्तार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण कार्य।
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	— सगौनी
बीट का नाम	— सलैया
ग्राम वन समिति	— ग्वारी
खसरा नंबर	— घुघरी
क्षेत्र प्रकार	— 73
वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	BL-2
योजना अवधि	— 53.142 हेक्टेयर
योजना की राशि रु.	— 2025-26 से 2035-2036
	— 23136838

वन मण्डल — दमोह, वनवृत्त — सागर (मध्य प्रदेश)

बिगड़े वनो का सुधार (पुनर्स्थापन समूह)

भाग - 1 सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण

- 1 (अ) परियोजना का नाम नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की ~~रवाड़िया~~ विस्तार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण कार्य। खसरा क्रमांक 73, ग्राम बमनी में वृक्षारोपण का क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कर क्षेत्र को सुरक्षित करना।

(ब) भारत सरकार का अनुमोदन
(मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर)

- | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|------------------|
| 2 | जिला | — | दमोह |
| 3 | वन मण्डल | — | दमोह (सामान्य) |
| 4 | परिक्षेत्र | — | सगौनी |
| 5 | तहसील | — | पटेरा |
| 6 | विकास खण्ड | — | पटेरा |
| 7 | विधान सभा क्षेत्र | — | हटा |
| 8 | क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त | — | सलैया |
| 9 | क्षेत्रीय परिसर (बीट) | — | ग्वारी |
| 2 | स्थल विशेष जानकारी | — | |
| 1 | ग्राम वन समिति | — | बमनी-धुधरी |
| 2 | वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक | — | |
| 3 | सुरक्षा हेतु कुल घेराव का रकबा | 53.142 | हेक्टेयर |
| 4 | योजना अनुसार कार्य हेतु योग्य क्षेत्र | — | 53.142 हेक्टेयर |
| 5 | गठित समिति का प्रकार | — | वन सुरक्षा समिति |
| 6 | समिति का मुख्यालय | — | बमनी-धुधरी |
| 7 | समिति में सम्मिलित ग्राम | — | बमनी-धुधरी |

खसरा नं. 73

3. उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

- | | | | |
|------|------------------------------|---|----------------------|
| (अ) | टोपोग्राफी | — | समतल एवं पठारी |
| (बी) | एस्पेक्ट (आकृति) | — | उत्तर |
| (सी) | ढलान | — | मध्यम |
| (अ) | पानी निकासी | — | अच्छी |
| (ब) | भू-क्षरण | — | मध्यम |
| (डी) | चट्टानों का विवरण | — | बलुआ पत्थर |
| (इ) | मिट्टी का प्रकार | — | कड़ी एवं बलुई मिट्टी |
| (एफ) | औसत वार्षिक वर्षा | — | 120 से.मी. |
| (जी) | नरम मिट्टी का क्षेत्र (हे०) | — | 20 हेक्टेयर |
| (एच) | कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हे०) | — | 9 हेक्टेयर |
| (आई) | पथरीली मिट्टी (हे०) | — | 0 हेक्टेयर |

क्षेत्र का विवरण :-

वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण

(ए) साइट क्वालिटी, घनत्व	—	IV B	0.2 से कम
(बी) पूर्ण वनवर्धन का क्षेत्र	—		
(सी) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	—	NIL	
(डी) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	—	NIL	
(इ) खरपतवार मुख्यतः लेन्टाना/वनतुल्सा	—	12.00	हेक्टेयर
(एफ) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	—	53.142	हेक्टेयर
(जी) चारागाह रोपण योग्य क्षेत्र	—	0	
(एच) विकृत बॉस का क्षेत्र	—	0	
(आई) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं		0	हेक्टेयर
(जे) प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)		NIL	
(के) जैविक दबाव	—	अतिक्रमण की पूर्ण संभावना है।	

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	—	√	—
चराई	—	√	—
मानव	—	√	—

5. 1. योजना का उद्देश्य — 1. बिगड़े वनों के सुधार (पुनर्स्थापन समूह) क्षेत्र में आने वाले पौधों का संरक्षण कर पुनरुत्पादन बढ़ाना।
2. क्षेत्रीय जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. रिक्त क्षेत्र में मिश्रित वृक्षारोपण कर क्षेत्र को वृक्ष से हरा-भरा करना व उत्तम श्रेणी का वन तैयार करना।

2. वनभूमि — हेक्टेयर
- 6 रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जायेंगे — सामाजिक वानिकी रोपणी नोहटा, सांगा
- 7 रोपणी से रोपण स्थल की दूरी कि.मी.
- (ए) ट्रक, द्वारा (कि.मी.) — 75 कि.मी. अधिकतम (एक ट्रिप)
- (बी) सिरबोझ द्वारा (कि.मी.) — 1-2 कि०मी०
- 8 योजना अवधि — 2025-26 से 2035-2036
- 9 1. योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय (रु० में) **23136838**

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)

2. प्रति हेक्टेयर व्यय (रु० में) **395798**
- 10 अन्य विवरण— असिंचित रोपण क्षेत्र


प्रति हेक्टर पौधों की संख्या


(ए) क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या	:	1000	प्रति हेक्टेयर
(बी) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	:	2000	
		53142	


कुल

55142

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का सीमांकन एवं उपचार मानचित्र स्थल के अनुसार बनाया गया है। क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य/वृक्षारोपण के योग्य है।



वनरक्षक बीटगार्ड
ग्वारी


परिक्षेत्र सहायक
सलैया


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सगौनी


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया। प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप है। परियोजना अनुमोदन की की अनुशंसा की जाती है।


उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल, दमोह


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्राधिकारी सगौनी द्वारा तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन एवं उप वन मण्डलाधिकारी दमोह द्वारा की गई अनुशंसा से मैं सहमत हूँ।


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल—दमोह (सामान्य)


स्थल निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना प्रतिवेदन का मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया क्षेत्र का घनत्व०.१..... है। क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र में कापिस देने वाली प्रजाति के जीवित टूट/पोलार्ड निरंक/अल्प/प्रचुर मात्रा में है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी

स्थल निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना प्रतिवेदन का मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया क्षेत्र का घनत्व०.१..... है। क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र में कापिस देने वाली प्रजाति के जीवित टूट/पोलार्ड निरंक/अल्प/प्रचुर मात्रा में है।


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल दमोह

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य आयोजना के किन्यान्वयन मद के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन Site specific तैयार किए गए हैं। प्रस्तुत प्राक्कलन में स्थल आधारित सभी अनिवार्य कार्यों को स्थलमांग अनुसार सम्मिलित किया गया है।

2. तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन जारी मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप एवं स्वीकृत राशि के अनुरूप है।



वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी



उपवनमंडल अधिकारी
दमोह

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी सगौनी एवं उपवनमंडल अधिकारी दमोह के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन में की गई अनुशंसा से सहमत हूँ।



वन मंडल अधिकारी
दमोह

नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की **रूपायि** विस्तार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपणप्लान का नाम- ग्राम **दुहरी** खसरा नंबर 73

दर 466 प्रति मा0दि0

प्रथम वर्ष 2025-26

भूमि तैयारी क्षेत्रफल 53.142 हेक्टेयर

जी.पी.एस. रीडिंग - उत्तर- 23°52'53.68"N 79°45'25.34"E

दक्षिण - 23°53'11.37"N 79°45'17.92"E

पूर्व- 23°52'50.87"N 79°44'54.86"E

पश्चिम- 23°52'38.34"N 79°45'5.07"E

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	प्रति मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कार्य करने से पूर्व Base line ड्राट हेतु पुनरोत्पादन सर्वेक्षण	53.142	0.25	प्रति हे.	13	6191	L.S.
2	सर्वे एवं सीमांकन एवं ट्रैटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे0	53.142	0.45	प्रति हे.	24	11144	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय गोपाल के जीव दर अनुसार भाग- 1 (1)
3	पक्के मुनारों का निर्माण	12.00	6500.00	प्र.मुनारा		78000	
4	क्षेत्र सफाई (हे0) लेन्टाना छोड़कर क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियाँ, कटाई एवं जलाई	8.142	4.00	प्रति हे.	32.57	15177	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय गोपाल के जीव दर अनुसार भाग- 1 (2)
5	लेन्टाना उन्मूलन कार्य						
	अ. सघन (प्रति हेक्टेयर 1500 झाड़ी से अधिक)	25.00	22	प्रति हे.	550	256300	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय गोपाल के जीव दर अनुसार भाग- 1 (3)
	ब. मध्यम (प्रति हेक्टेयर 501 से 1500 झाड़ी)	7.00	12.50	प्रति हे.	88	40775	
	स. विरल (प्रति हेक्टेयर 500 झाड़ी तक)	3.00	8	प्रति हे.	24	11184	
6	घेनलिक फेंसिंग कार्य मय सामग्री कय मय जी.एस.टी. एवं परिवहन लोडिंग अनलोडिंग सहित कुल 3250 रु0मी0 ऊँचाई 2 मीटर एवं बारबेड वायर तीन लाइनों में किया जावेगा।					2410695	As per Annexure-I
	फेंसिंग हेतु आर.सी.सी.सपोलिंग पिलर साइज 6" प्रति 100 मीटर के अंतराल पर	33.00	3500	प्रति पिलर		115500	As per Estimate
7	गड्डे खुदाई के पूर्व रस्सी से सीधी लाईन डालना एवं चूने से गड्डे के स्थान को चिन्हित करना						
	1 2 मीटर × 2 मीटर अंतराल में	12000	2.50	प्रति हजार	30	13980	ए.पी.सी.सी.एफ. गोपाल विकास के जीव दर अनुसार भाग- 1 (4)
	2 3 मीटर × 2 मीटर अंतराल में	39142	2.50	प्रति हजार	98	45600	ए.पी.सी.सी.एफ. गोपाल विकास के जीव दर अनुसार भाग- 1 (4)
	3 4 मीटर × 4 मीटर अंतराल में (बांस रोपण हेतु)	2000	2.50	प्रति हजार	5	2330	
	कुल	53142				61910	
8	गड्डा खुदाई कार्य- 1000 पौधा प्रति हेक्टेयर						
	अ. 0.30×0.30×0.30 से0मी0	12000	3.00	प्रति सैकड़ा	360	167760	सी.सी.एफ. वृत्त सागर के जीव दर अनुसार भाग- 1 (5)
	ब. 0.45×0.45×0.45 से0मी0	41142	5.00	प्रति सैकड़ा	2057	958609	ए.पी.सी.सी.एफ. गोपाल के जीव दर अनुसार भाग- 1 (5)
	कुल	53142				1126369	
9	नीमखली कय परिवहन सहित (100 ग्राम प्रति पौधा)	53.142	4500.00	प्रति क्विंटल		239139	सामाजिक वानिकी इकाई वृत्त सागर के दर अनुसार
10	पौधों का अंगीकरण (सीडलिंग एडॉप्शन) औसतन 100 पौधे प्रति हेक्टेयर	20	1.28	प्रति हेक्टेयर		11901	
11	जड़ भण्डारण विकास कार्य						
	अ. विकृत पौधा कटाई कार्य - विरल क्षेत्र 0 से 0.5 घनत्व वाले स्थल में 20 से.मी. से कम गोलाई की आड़ी, टेडी विकृत पौधों की	3.00	10.256	प्रति हे.	30.77	14338	सी.सी.एफ. सागर वृत्त सागर के पत्र क. व्यय/2023/09 दि. 31.01.2023 जीव दर अनुसार भाग- 1 (2)
	ब. सघन क्षेत्र 0.5 से 1 घनत्व वाले स्थल में 20 से.मी. से कम गोलाई की आड़ी, टेडी विकृत पौधों की कटाई एवं सफाई कार्य।	7.00	14.810	प्रति हे.	103.67	48310	सी.सी.एफ. सागर वृत्त सागर के पत्र क. व्यय/2023/09 दि. 31.01.2023 जीव दर अनुसार भाग- 1 (2)
	स. 20 से.मी. से अधिक गोलाई हेतु ट्रूट ड्रेसिंग- अनुपयोगी वृक्षों, कापिस देने योग्य वृक्षों के जीवित मार्कशुदा लगभग 35 ट्रूटों एवं पोलाई की कटाई, ड्रेसिंग एवं एक मीटर घेरे में सफाई करना -						
	1. 21-30 से.मी. (गोलाई वर्ग)	25	0.018	प्रति ट्रूट	0	210	सी.सी.एफ. सागर वृत्त सागर के पत्र क. व्यय/2023/09 दि. 31.01.2023 जीव दर अनुसार भाग- 1 (2)
	2. 31-45 से.मी. (गोलाई वर्ग)	10	0.029	प्रति ट्रूट	0	15	
	3. 46-60 से.मी. (गोलाई वर्ग)	0	0.047	प्रति ट्रूट	0	0	
	4. 61-90 से.मी. (गोलाई वर्ग)	0	0.065	प्रति ट्रूट	0	0	
12	सुरक्षा श्रमिक ड्रॉपड़ी निर्माण	1	150000.00		1500	150000	LS
13	गेट एवं बोर्ड बनवाई एवं लगवाई	1	50000.00	LS	0	50000	LS
14	मृदा परीक्षण कार्य	10.000	200.00	प्रतिसेक्टर		2000	LS
15	स्थानीय बीज संग्रहण कार्य	LS	LS	LS	-	5000	LS
16	निरीक्षण पथ निर्माण - फेंसिंग के अंदर 3 मी चौड़ी पट्टी एवं वृक्षारोपण क्षेत्र के मध्य सीधी व आड़ी 3 मी. चौड़ी पट्टी	8.000	20.00	प्र.कि.मी.		74560	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय गोपाल के जीव दर अनुसार भाग- 1 (11 अ)
17	प्रोजेक्ट तैयार/सेक्टर की प्रत्येक लाईन के सामने खूँटी गाड़कर गिनती करके पेट से लिखाई कार्य।	LS	LS	LS	-	100000	LS
18	गोबर खाद - कय आयतन का 15%	610.959713	650	प्र.घ.मी.		397124	

नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की ~~रफ्तार~~ विस्तार परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपणप्लॉट का नाम- ग्राम ~~पुर्वी~~ खसरा नंबर 73

दर 466 प्रति मा0दि0

प्रथम वर्ष 2025-26

भूमि तैयारी क्षेत्रफल 53.142 हेक्टेयर

जी.पी.एस. रीडिंग - उत्तर- 23°52'53.68"N 79°45'25.34"E

दक्षिण - 23°53'11.37"N 79°45'17.92"E

पूर्व- 23°52'50.87"N 79°44'54.86"E

पश्चिम- 23°52'38.34"N 79°45'5.07"E

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
19	उपजाऊ मिट्टी संग्रहण एवं परिवहन कार्य। (25%)	1018.26619	368	प्र.घ.मी.		374722	Tendar Rate
20	गड्डो में उपजाऊ मिट्टी डालना	53142	1.5	प्र.गड्डा	797.13	371463	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जाँच दर अनुसार भाग-1 (17)
21	अन्य व्यय (चूना, रस्सी, गड्डा खोदने हेतु फावडा, गेंती, खंता, टेप आदि कय)	LS	LS	LS	-	182316	LS
योग :-						6154342	
भू-जल संरक्षण कार्य -							
22	परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य।	4	LS	LS		1200000	LS
23	परकोलेशन पिट निर्माण कार्य।	30	8470	प्र.इकाई		254100	
24	वाटरहार्वैस्टिंग स्ट्रेक्चर निर्माण कार्य।	45	4	मा.दि.प्र.		83880	
कुल योग :-					4969	1537980	
25	पौधा कय एवं 10 % मृत पौधों का बदलाव सहित। (पौधा कय की राशि सामाजिक वानिकी इकाई को देय)	58457	30.00	प्र.नग		1753710	सामाजिक वानिकी इकाई वृत्त सागर के स्वीकृत दर अनुसार
26	बर्मी कम्पोस्ट खाद कय परिवहन सहित (प्रति गड्डा 2.50 प्रति पौधा)	53142	2.50	प्रति पौधा		132855	सामाजिक वानिकी इकाई वृत्त सागर के दर अनुसार
कुल योग :-						9578887	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-						180251	

उप वन प्रकल्प अधिकारी
इमोह

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी

ANNEXURE - I

NCL Site- Bamni, Khasra NO 73 Rakwa 53.142 Hect

क्र.	सेड्यूल ऑफ रेटस्. पेज क्र. / आइटम न.	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सीमा घेराबंदी -चैनलिक फेंसिंग :-3250 रमी.			3250		
	As per Tender	Chainlink fencing with PRE STRESSED REINFORCED CEMENT CONCRETE FENCING POLE SIZE 100X100 MM OF 2.0 MTR LENGTH Pole as per LUN rate Pole Item BNo. 2.00 Mtr height, Chain link fencing 4mm Item No. SMM 300510,	Chain Link	Sqm	6500.00	1053000
			Pole	1430.00	162	
2	As per Tender	RCC POLE 2.5 Mtr.	Pole	1430	360.00	514800
3	As per Tender	barbed wire - 3 line	किग्रा.	1950	105	204750
4	As per Tender	Binding wire	किग्रा.	433	90	39000
5	csr 4.1.1.3 - 4471 /- PER CUM , pole fixing using PCC M15 GRADE CONCRETE	Material for pole fixing as per csr noms rate				
		1672x 0.30 x 0.30 x 0.45 =	57.92			
		पोल्स फिक्सिंग हेतु कांक्रीट ग्राउंड सतह से 5 से.मी. ऊपर तक				
		1672 x 0.30 x 0.30 x 0.05 =	6.44			
		योग	64.35			
		पोल्स कटौति				
		(-) 1672 x 0.10 x 0.10 x 0.50 =	7.15			
		वास्तविक कांक्रीट कार्य	57.20			
		वास्तविक कांक्रीट कार्य (सामग्री एवं मजदूरी)		57.20	4471	255741
		जी.एस.टी की राशि 18%				46033
						301775
4	ए पी सी सी एफ, विकास मुख्यालय नोपाल का पत्र क्र. एफ- 04/जीब/2014/ 10-3/837 दिनांक 24.05. 2024 के जीब दर अनुसार माग-1 (4)	गडडा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेन्ट	2.5 md per 1000	1430	1.165	1665.95
5	ए पी सी सी एफ, विकास मुख्यालय नोपाल का पत्र क्र. एफ- 04/जीब/2014/ 10-3/837 दिनांक 24.05. 2024 के जीब दर अनुसार माग- 1 (5.2)	Diging of pits 30x30x45 CM (Labour)	3.8 md per 100	1430	17.708	25322
6	As per Tender	a - Cement Bag	नग	362	307	111263
	As per Tender	b- Sand	घमी.	25.168	1890	47568
	As per Tender	c - Metal 20 mm	घमी.	50.336	947	47668
7		fixing pole.curing, loading & Unloading of cement. Sand and metall, water etc.		1430	LS	68288
		POLE FIXING TOTAL				301775
8	ए पी सी सी एफ, विकास मुख्यालय नोपाल का पत्र क्र. एफ- 04/जीब/2014/ 10-3/837 दिनांक 24.05. 2024 के जीब दर अनुसार माग- 1 (14)	Fixing chainlink mesh with 3 row barbed wire etc. Complete (Labour)	0.16 md per rmt	3250	74.56	242320
9		Other Expnse.-				5000
10		पोल फैलाई		1430	ls	21450
11		पोल पुताई एवं नंबरिंग कार्य सामग्री सहित		1430	ls	28600
		फेंसिंग योग			योग	2410695

मप वन मंडल अधिकारी
कमोड

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बीज बुआई कार्य।	-	-	-	-	10000	L.S.
2	पौधों का परिवहन कार्य (दूरी 151 से 170 कि.मी.)	58457	469.00	प्रति पौधा सैकड़ा	555	274163	सी.सी.एफ सागर का पत्र क्र 95 दि. 28.07.222
3	ट्रकेबुल प्वाइंट से 2 कि0मी0 तक की दूरी में सिर बोझ पौधा परिवहन	53142	0.40	प्रति सैकड़ा पौधा	213	105000	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर अनुसार भाग-2 (4)
4	पौधा रोपण 82520					0	
	अ 0.30×0.30×0.30 से0मी0	12000	1.50	प्रति सैकड़ा	180	88913	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास का के जॉब दर अनुसार भाग-2 (5)
	ब 0.45×0.45×0.45 से0मी0	41142	1.80	प्रति सैकड़ा	741	365805	
5	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाना, निंदाई कार्य, थाला बनाई कार्य।	5314	1.50	प्रति सैकड़ा	80	39374	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉब दर अनुसार भाग-2 (9)
6	निंदाई कार्य- निंदाई गुड़ाई, थाला दुरुस्त कराई, मत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	अ-प्रथम गोल निंदाई 1मी. व्यास में	53142	1.25	प्रति सैकड़ा	664	328125	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉब दर अनुसार भाग-2 (10)
	ब-द्वितीय गोल निंदाई 1मी. व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	262500	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉब दर अनुसार भाग-2 (10)
	स-तृतीय गोल निंदाई 1मी. व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	262500	
7	वर्मी कम्पोस्ट, नीम खली, डलवाई कार्य	53142	0.50	प्रति सैकड़ा	266	131250	Job Rate
8	लैटना मॉपिंग	12	8.00	प्र.हे.		47420	L.S.
9	कीटनाशक एवं ग्रोथहार्मोन क्रय मय परिवहन सहित 10-10 ग्राम प्रति पौधा	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	80000	L.S.
10	कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डलवाई कार्य	53142	0.60	प्रति सैकड़ा	319	157500	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-2 (11)
11	वर्मी कम्पोस्ट, नीम खली डलवाई कार्य	53142	1.00	प्रति सैकड़ा		262500	L.S.
12	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.0	3.35	प्रति कि.मी	27	13238	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(ब)
13	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10.0	2.25	प्रति कि.मी		11114	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
14	सुरक्षा कार्य-ग्राम वन समिति के माध्यम स	12	26.00	प्रति माह	312	154116	LS
15	1 कि.मी. दूरी से पानी परिवहन कर वृक्षारोपण क्षेत्र के पौधा की सिंचाई करना। 53142 X 2 times	106284	1.25	मा.दि.प्र.सै.		656251	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-2 (12)
	योग :-					3249769	
16	अन्य व्यय (चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत, झोपड़ी मरम्मत, अग्नि सुरक्षा उपकरण कय)	-	-	-	-	150000	LS
	कुल योग :-				4418	3399769	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-					63975	

उप वन/मंजूर जायकार

कमोड

वन परिक्षेत्र अधिकारी

सयसै-सि

का नाम- ग्राम **दुहरी** खसरा नंबर 73
वर्ष 2027-28

क्षेत्रफल 53ण142 हेक्टेयर

दर- 524 प्रति मा0दि0
रखरखाव कार्य

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पुनरोत्पादन सर्वेक्षण कार्य।	LS	LS	LS	LS	5000	LS
2	पौधा तैयारी व्यय	5314	13.00	प्रति पौधा		69082	सामाजिक वानिकी ईकाई वृत्त सागर के स्वीकृत दर अनुसार
3	पौधा परिवहन कार्य	5314	2.50	प्रति पौधा	25	13285	सी.सी.एफ सागर वृत्त सागर के पत्र क./व्यय/2021/95 दि. 28. 07.22021 स्वीकृत दर अनुसार
4	ट्रकेबल प्वाइंट से सिर बोझ द्वारा 1 से 2 कि0मी0 तक पौधा परिवहन	5314	0.40	प्रति सैकड़ा पौधा	21	11130	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर अनुसार भाग-2 (4)
5	मृत पौधों के स्थान पर पौधा लगवाई कार्य	5314	1.50	प्रति सैकड़ा	80	41736	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉब दर अनुसार भाग-2 (9)
6	चेनलिंग फेंसिंग एवं निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	LS	LS	LS	LS	100000	LS
7	निंदाई कार्य- निंदाई गुड़ाई, थाला दुरुस्त कराई, मत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	अ-प्रथम गोल निंदाई 1मी. व्यास में	53142	1.25	प्रति सैकड़ा	664	347813	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉब दर अनुसार भाग-2 (10)
	ब-द्वितीय गोल निंदाई 1मी. व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	278250	
	स-तृतीय गोल निंदाई 1मी. व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	278250	
8	कीटनाशक एवं ग्रोथ हार्मोन कय	LS	LS	LS	LS	180000	LS
	खाद डलवाई	53142	0.60	प्रति सैकड़ा	318.852	166950	Job Rate
9	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.0	3.35	प्रति कि.मी	27	14032	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(ब)
10	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10.0	2.25	प्रति कि.मी		11781	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
11	1 कि.मी. दूरी से पानी परिवहन कर वृक्षारोपण क्षेत्र के पौधा की सिंचाई करना। 53142 X 2 times	106284	1.25	मा.दि.प्र.सै.		695626	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-2 (12)
12	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	624	326725	LS
	योग :-					2539660	
13	अन्य व्यय - झोपड़ी मरम्मत एवं घास कटाई कार्य।					100000	LS
	कुल योग :-					2823	2639660
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						49672

वन वन मंडल अधिकारी
बनोड

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल का नाम- ग्राम दुहरी खसरा नंबर 73
चतुर्थ वर्ष 2028-29

क्षेत्रफल 53^ण142
हेक्टेयर

दर- 555 प्रति मा0दि0
रखरखाव कार्य

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा. दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पौधा तैयारी व्यय	5314	13.00	प्रति पौधा		69082	सामाजिक वानिकी ईकाई वृत्त सागर के स्वीकृत दर अनुसार
2	पौधा परिवहन कार्य	5314	2.50	प्रति पौधा	24	13285	सी.सी.एफ सागर वृत्त सागर के पत्र क./व्यय/2021/95 दि. 28.
3	ट्रकेबल प्वाइंट से सिर बोझ द्वारा 1 से 2 कि०मी० तक पौधा परिवहन	5314	0.40	प्रति सैकड़ा पौधा	21	11797	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर अनुसार भाग-2 (4)
4	मृत पौधों के स्थान पर पौधा लगवाई कार्य	5314	1.50	प्रति सैकड़ा	80	44240	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉब दर अनुसार भाग-2 (9)
5	निंदाई कार्य- निंदाई गुड़ाई, थाला दुरुस्त कराई, मत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	अ-प्रथम गोल निंदाई 1मी. व्यास में	53142	1.25	प्रति सैकड़ा	664	368682	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल विकास के जॉब दर अनुसार भाग-2 (10)
	ब-द्वितीय गोल निंदाई 1मी. व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	294945	
6	कीटनाशक एवं ग्रोथ हार्मोन कय	LS	LS	LS	LS	120000	LS
	खाद डलवाई	53142	0.60	प्रति सैकड़ा	318.852	176967	Job Rate
7	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.0	3.35	प्रति कि.मी	27	14874	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(ब)
8	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10.0	2.25	प्रति कि.मी		12488	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
	योग :-					1126361	
9	अन्य व्यय - चेनलिंग फेंसिंग, निरीक्षण पथ मरम्मत एवं घास कटाई, जल संरचनाओं की मरम्मत कार्य।	LS	LS	LS	LS	200000	LS
	कुल योग :-					0	1326361
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						24959

[Signature]

उप वन मंडल अधिकारी
कमोड

[Signature]
वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन


स्थल का नाम- ग्राम दुबरी खसरा नंबर 73
पंचम वर्ष 2029-30

क्षेत्रफल 53ण142
हेक्टेयर

दर- 588 प्रति मा0दि0
रखरखाव कार्य

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निंदाई कार्य- निंदाई गुड़ाई, थाला दुरुस्त कराई, मत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई						
	अ-प्रथम गोल निंदाई 1मी. व्यास में	53142	1.25	प्रति सैकड़ा	664	390802	ए.पी.सी.सी.एफ. भोपाल विकास के जॉब दर अनुसार भाग-2 (10)
	ब-द्वितीय गोल निंदाई 1मी. व्यास में	53142	1.00	प्रति सैकड़ा	531	312642	
	कीटनाशक एवं ग्रोथ हार्मोस कय	LS	LS	LS	LS	40000	LS
	खाद डलवाई	53142	0.60	प्रति सैकड़ा	318.852	187585	Job Rate
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.0	3.35	प्रति कि.मी	27	15767	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(ब)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10.0	2.25	प्रति कि.मी		13237	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
4	अन्य व्यय - चैनलिंग फेंसिंग, निरीक्षण पथ मरम्मत एवं घास कटाई, जल संरचनाओं की मरम्मत कार्य।	LS	LS	LS	LS	100000	LS
5	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	624	367108	LS
1	कुल योग :-					1114500	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-					37805	

उप वन पंक्षेत्र अधिकारी
कमोहि


वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी

भाग - 3


व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल का नाम- ग्राम ~~धुवरी~~ खसरा नंबर 73
षष्ठम वर्ष 2030-31

क्षेत्रफल 53ण142
हेक्टेयर

दर- 624 प्रति मा0दि0
रखरखाव कार्य

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	282.00	389135	LS
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.0	3.35	प्रति कि.मी	27	16713	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(ब)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10.0	2.25	प्रति कि.मी	23	14031	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
	योग :-					419878	
4	अन्य व्यय- फेंसिंग मरम्मत, निरीक्षण पथ मरम्मत एवं घास कटाई कार्य।					80000	LS
	कुल योग :-					499878	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-					9406	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी


उप वन मंडल अधिकारी
बमोह

भाग - 3


व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल का नाम- ग्राम **धुवारी** खसरा नंबर 73
सप्तम वर्ष 2031-32

क्षेत्रफल 53ण142
हेक्टेयर

दर- 661 प्रति मा0दि0
रखरखाव कार्य

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	266.00	412483	LS
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8	3.35	प्रति कि.मी	23.45	11162	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(ब)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10	2.25	प्रति कि.मी	9.00	4284	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
	योग :-					427929	
2	अन्य व्यय - फेंसिंग मरम्मत, झोपडी मरम्मत एवं घांस कटाई।					12000	LS
	कुल योग :-					439929	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-					8278	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी


मुख्य वन प्रहरी अधिकारी
बम्पेड

भाग - 3


व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल का नाम- ग्राम ~~खसरा~~ खसरा नंबर 73
अष्टम वर्ष 2032-33

क्षेत्रफल 53ण142
हेक्टेयर

दर- 701 प्रति मा0दि0
रखरखाव कार्य

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	266.00	437232	LS
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8	3.35	प्रति कि.मी	23.45	11162	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(ब)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10	2.25	प्रति कि.मी	9.00	4284	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
	योग :-					452678	
4	अन्य व्यय - फेंसिंग मरम्मत, झोपड़ी मरम्मत एवं घांस कटाई।					15000	LS
	कुल योग :-					467678	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-					8801	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी


वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल का नाम- ग्राम ~~खसरा~~ खसरा नंबर 73
नवम वर्ष 2033-34

क्षेत्रफल 53ण142


हेक्टेयर

दर-

743 प्रति मा0दि0

रखरखाव कार्य

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	266.00	463466	LS
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.00	3.35	प्रति कि.मी	23.45	11162	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(ब)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10	2.25	प्रति कि.मी	9.00	4284	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
	योग :-					478912	
4	अन्य व्यय - फेंसिंग मरम्मत, झोपड़ी मरम्मत एवं घांस कटाई।					15000	LS
	कुल योग :-					493912	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-					9294	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी


उप वन पट्टल अधिकारी
रमोह

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल का नाम— ग्राम खसरा नंबर 73
दशम वर्ष 2034—35


क्षेत्रफल 53ण142

हेक्टेयर

दर—

787 प्रति मा0दि0
रखरखाव कार्य

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा कार्य—समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	266.00	491273	LS
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.00	3.35	प्रति कि.मी	23.45	11162	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय नोपाल के जॉब दर भाग-3(ब)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10	2.25	प्रति कि.मी	9.00	4284	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास मुख्यालय नोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
				योग :-		506720	
4	अन्य व्यय — फेंसिंग मरम्मत, झोपड़ी मरम्मत एवं घांस कटाई।					15000	LS
				कुल योग :-		521720	
				प्रति हेक्टेयर व्यय :-		9817	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी


उप वन मंडल अधिकारी
कमोह

भाग - 3

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

स्थल का नाम- ग्राम ^{चुधरी}, खसरा नंबर 73

दर-

835 प्रति मा0दि0


एकादश वर्ष 2035-36

क्षेत्रफल 53ण142

रखरखाव कार्य

हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दिवस प्रति इकाई	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षा कार्य-समिति के माध्यम से 2	24	26.00	प्रति माह	266.00	520750	LS
2	अग्नि सुरक्षा कार्य 6 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	8.00	3.35	प्रति कि.मी	23.45	11162	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(ब)
3	अग्नि सुरक्षा कार्य 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई एवं जलाई सहित	10	2.25	प्रति कि.मी	9.00	4284	ए.पी.सी.सी.एफ, विकास मुख्यालय भोपाल के जॉब दर भाग-3(अ)
				योग :-		536196	
4	अन्य व्यय - फेंसिंग मरम्मत, झोपड़ी मरम्मत एवं घांस कटाई।					15000	LS
				कुल योग :-		551196	
				प्रति हेक्टेयर व्यय :-		10372	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
सगौनी


उप वन मंडल अधिकारी
कमोद


प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा


स्थल का नाम— ग्राम खसरा नंबर 73

ग्राम - धुधरी

क्रमांक	वर्ष	कार्य का विवरण	कार्यो पर वर्षवार कुल व्यय (रु. में)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रति हे. व्यय (रु. में)
1	2025-26	प्रथम वर्ष भूमि तैयारी	9578887	53.142	180251
2	2026-27	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	3399769	53.142	63975
3	2027-28	तृतीय वर्ष, रखरखाव	2639660	53.142	49672
4	2028-29	चतुर्थ वर्ष, रखरखाव	1326361	53.142	24959
5	2029-30	पंचम वर्ष, रखरखाव	1114500	53.142	20972
6	2030-31	षष्ठम वर्ष, रखरखाव	499878	53.142	9406
7	2031-32	सप्तम वर्ष, रखरखाव	439929	53.142	8278
8	2032-33	अष्टम वर्ष रखरखाव	467678	53.142	8801
9	2033-34	नवम वर्ष रखरखाव	493912	53.142	9294
10	2034-35	दशम वर्ष रखरखाव	521720	53.142	9817
11	2035-36	एकादश वर्ष रखरखाव	551196	53.142	10372
		योग —	21033489		395798

आस्थामूलक कार्य — (वनीकरण योजना राशि का 5 प्रतिशत)	1051674
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन — (वनीकरण योजना राशि का 4 प्रतिशत)	841340
मानव संसाधन विकास — (वनीकरण योजना राशि का 1 प्रतिशत)	210335
कुल योग	2103349
महायोग :-	23136838


वन परिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र सगौनी


उप वनमण्डलाधिकारी
दमोह

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल सा0 दमोह (म.प्र.)

तकनीकी स्वीकृती आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर (म.प्र.)



CLR No. : 25002123815

ग्राम: घुघरी			पटवारी हल्का: वमनी			तहसील: पटेरा		जिला: दमोह		वर्ष: 2025-2026	
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुपी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंवाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1620709659 81RHSBDCNGZEHO	73/2 (S)		53.1420 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						म.प्र.राज्य सरकार चट्टान
			रु. 0.00								न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0020/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 12/06/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित
											कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0023/अ-20(3)/2024-25 एवं आदेश दिनांक 12/06/2024 के अनुसार दिनांक 17/07/2025 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज
											न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 0023/अ203/202425/आदेश दिनांक 12/6/2024 के अनुसार वन विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है।
											न्यायलय कलेक्टर, जिला दमोह (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 0023-अ-20(3)-2024-25, आदेश दि. 12-06-2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित




मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर नं. : 25002123816

वर्ष: 2025-2026

दिनांक: 05-09-2025 08:35:41



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	घुघरी	वमनी	पटेरा	दमोह
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल		भू-राजस्व.	
73/2(S)	53.1420(हेक्ट.)		0.00	

मापांक 1:4000
0 1 2 3 4sec

भूस्वामी: (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

कार्यालय वन वृत, सागर मध्य प्रदेश

Annexure-4

E-mail - ccf.sgr@mp.gov.in, cfsagar@gmail.com, Phone & Fax No.-07582-236262

सागर, दिनांक 30/12/2025

क्रमांक/मा.चि./2025/1653
प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कार्य-आयोजना एवं वन भू-अभिलेख)
म.प्र.भोपाल।

विषय:- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रकरणों में व्यपवर्तित वनभूमि के बदले में प्राप्त राजस्व भूमियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 में अधिसूचित कर संरक्षित वन घोषित किये जाने के संबंध में। (04 प्रकरण)

संदर्भ:- वनमंडल अधिकारी दमोह को पत्र क्रमांक/मा.चि./1260 दिनांक 12/12/2025

—000—

विषयांतर्गत निवेदन है, कि वनमंडल अधिकारी दमोह द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 12/12/2025 से 04 प्रकरणों के अधिसूचना प्रारूप सुसंगत अभिलेखों सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किये हैं, प्रकरण आगामी कार्यवाही संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार। 04 प्रकरण


वन संरक्षक
सागर वृत सागर

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2025/1654
प्रतिलिपि :-

सागर, दिनांक 30/12/2025

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमंडल अधिकारी दमोह की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रस्तावित हिन्दी एवं अंग्रेजी के अधिसूचना प्रारूप के soft copy Unicode में E-mail के माध्यम से वरिष्ठ एवं इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


वन संरक्षक
सागर वृत सागर

15/12/2025



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दमोह वनमण्डल दमोह (म.प्र.)



पता-कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज के पास, सिविल बोर्ड, नं-4, जिला दमोह, (म.प्र.) पिन-470661
ई-मेल-dfotdmoh@mp.gov.in फोन नं. 07812.222541 फेक्स -227205

क्रमांक/मा.चि./ 1260
प्रति,

दमोह, दिनांक 12/12/2025

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रकरणों में व्यपवर्तित वनभूमि के बदले में प्राप्त राजस्व भूमियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 में अधिसूचित कर संरक्षित वन घोषित किये जाने के संबंध में।
1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन भू अभिलेख) भोपाल का पत्र क्रमांक/वन-भू अभि./अधि.कक्ष/1444 दिनांक 06.08.2025, 1538 दिनांक 01.09.2025

सागर वृत्त, सागर

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र दिनांक 06.08.2025 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृत प्रकरणों में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमियों भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के तहत संरक्षित वन अधिसूचित करने हेतु प्रस्तावित वनखण्डों के अधिसूचना प्रारूप प्रस्ताव भेजे गये थे, जिनमें आपके द्वारा ली गई आपत्तियों की पूर्ति कर अधिसूचना प्रारूप पुनः चैकलिस्ट के आधार पर आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित संलग्न कर अधिसूचना प्रारूप 03-03 प्रतियों में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

प्राप्त गैर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित करने हेतु वनखण्ड का विवरण

क.	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	प्रस्तावित वनखण्ड	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हे.मं.)
1	हरई-रिचकुडी मार्ग निर्माण	सिंग्रामपुर	दौनी-अ	तेन्दूखेडा	दौनी	322/2	1.6725
2	रजपुरा-मडियादौ मार्ग चौड़ीकरण	हटा	दूला-अ	हटा	दूला	32/1	15.1677
3	सतधारु मध्यम सिंचाई परियोजना	सगौनी	पटना कुम्हारी-अ	पटेरा	पटना	111, 109, 112	94.92
4	खडिया विस्तार परियोजना	सगौनी	घुघरी-अ	पटेरा	घुघरी	73	53.142

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

इश्वर जराडे

I.F.S.

वनमंडल अधिकारी
वनमंडल (सा.) दमोह

दमोह, दिनांक 12/12/2025

पृ.क्रमांक/मा.चि./1261
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन भू अभिलेख) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।
3. कलेक्टर जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।
4. अनुविभागीय अधिकारी हटा/तेन्दूखेडा/पटेरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

वनमंडल अधिकारी
वनमंडल (सा.) दमोह

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector SINGRAULI

2634
No...../FRA/TRIBAL/49/2025

SINGRAULI Dated...12/08/2025

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) of the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. it is certified that 53.142 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Khadia Expansion open cast Project of M/s Northern Coalfields Limited, Singrauli (Govt. of India Undertaking) for Opencast Coal Mining in Singrauli district falls within jurisdiction of (ward no. 11 Dayanand ward duddhichua Nagar Nigam Singrauli) in compartment no P 261.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 53.142 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committees(s), mohalla Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, (urban) and District level Forest Rights Committee, Singrauli are enclosed as annexure 1(1-5) to annexure 2(1-2) to annexure 3 (1-2).
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been placed before each concerned gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned mohalla Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and the details for proposed diversion. A copy of certificate issued by the mohalla sabha of (ward no. 11 dayanand ward duddhichua) is enclosed as annexure 1(1-5).
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when There was a quorum of minimum 50% of the Members of mohalla Sabha presence,
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the mohalla Sabhas have given their consent to it,
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.As above.

Collector

DISSTT-SINGRAULI

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली (म०प्र०)

क्रमांक / 2396 / उप.स्त.व.स. / 2025

सिंगरौली दिनांक- 03-07-25

प्रति,

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास-
जिला सिंगरौली (म०प्र०)


विषय:- वनाधिकार समिति के कार्यवाही विवरण की जानकारी के संबंध में।

—00—

विषयांकित के संबंध में निवेदन है कि मोहल्ला समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 18.06.2025 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के बैठक का आयोजन कर वार्ड क्रमांक 11 में वन खण्ड क्रमांक पीएफ-261 रकबा 53.142 हे० वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में समिति द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पास कर अनुशंसित प्रस्ताव आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

अतः उक्त के संबंध में कार्यवाही विवरण एवं मोहल्ला समिति के प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


सचिव/उपायुक्त

उपखण्डस्तरीय वनाधिकार समिति

नगरपालिक निगम

सिंगरौली

आयुक्त
नगरपालिक निगम सिंगरौली
दिनांक 03/07/2025
प्रति,
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक / / उपखण्ड स्तरीय वन अधि0स0 / 2025,

सिंगरौली दिनांक-

कार्यवाही विवरण

एन0सी0एल खडिया विस्तार परियोजना अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 11 (दयानन्द) में वन खण्ड क्रमांक PF-261 रकबा 53.142 हे0 वन भूमि के व्यपवर्तन के सम्बन्ध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत उपखण्ड स्तरीय बैठक का कार्यवाही विवरण-

आदेश क्रमांक/5458/राजस्व/2024 सिंगरौली दिनांक 06.11.2024 के अनुसार गठित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैठन सिंगरौली(म0प्र0) की बैठक सूचना क्रमांक 1844 दिनांक 16.06.2025 के अनुशरण में आज दिनांक 18.06.2025 को समय सायं 5:00 बजे नगरनिगम सिंगरौली के सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

एन0सी0एल0 खडिया विस्तार परियोजना के वार्ड क्रमांक 11 (दयानन्द) के अन्तर्गत 53.142 हे0 वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत मोहल्ला समिति के द्वारा सर्व सम्मति के साथ अनुसंशित वार्ड का प्राप्त प्रतिवेदन का सारवृत सहित प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष विचारण हेतु रखा गया। बैठक में चर्चा के दौरान उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा एन0सी0एल0 खडिया विस्तार परियोजना के लिए वार्ड क्रमांक 11 (दयानन्द) क्षेत्र के अन्तर्गत 53.142 हे0 वन भूमि के व्यपवर्तन किये जाने में किसी भी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की गई और न ही प्रस्तावित भूमि के किसी भाग पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के व्यक्तिगत या सामूहिक दावेदार पाये गए।

अतः ऐसी स्थिति में उपखण्ड स्तरीय समिति उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का बहुमत के साथ अनुशंसा करती है। उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर निम्नानुसार है:-

अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति /
अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
उपखण्ड बैठन

उपवन मण्डलाधिकारी
उपवन मण्डल, बैठन

श्रीमती पिंगी सिंह
सदस्य
अनुसूचित जनजाति

सचिव/उपायुक्त
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम सिंगरौली

नगरीय संस्था के प्रतिनिधि
(जोनल अधिकारी)
नगर निगम सिंगरौली

राजबहादुर पनिका
श्री राजबहादुर पनिका
सदस्य
अनुसूचित जनजाति

दिनांक 17.02.2025

बैठक दिनांक 17.02.2025 दिन सोमवार को वन अधिकारी के यस्तुत दलों के परीक्षा हेतु मोहल्ला वन अधिकारी समिति काई क्र. 11

दयानन्द वाडि दुधामुडी नगर निगम क्षेत्र जिला सिंगरिली (म.प्र.) को आयोजित किया गया

एन. सी. एल. ए. व. डी. परिशिष्ट 2 भाग 5101. 0.01 के पक्ष में नगर निगम में अन्तर्गत वन भूमि स्थिति रुकवा नि. 261-डि. 66 डि. 00 के स्थान पर रुकवा 55.142 छठे भाग के व्यापक निदेश (अनुचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी के माफता) अधिनियम 2006 के तहत नगरीय क्षेत्र में वन अधिकारी के दलों का परीक्षा करने हेतु मोहल्ला वन अधिकारी समिति दयानन्द वाडि क्र. 11 में बैठक दिनांक 17.02.2025 दिन सोमवार को सुबह 11 बजे से आयोजित की गई वन अधिकारी के यस्तुत करने हेतु संरक्षित क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार एवं आमजन सूचना धारा का सूचना देने के सावधानी में बैठक आयोजन के पुन सूचना का प्रकाशन हो स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया था उक्त पूर्व निर्धारित बैठक में वन अधिकारी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सचिव व सदस्यों के साथ-साथ नगर निगम एवं एन. सी. एल. के पदाधिकारी मय दस्तावेज के साथ उपस्थित रहे बैठक में उपस्थित सभी जनों को वन भूमि के व्यापक निदेश एवं वन अधिकारी अधिनियम के सावधानी में विस्तृत जानकारी दी गई वन अधिकारी निम्नांकित पाई गई—

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी पत्र धारक नाम	व्यय/क्र. एवं कुल रुकवा	अन्य विवर
1				
2				
3				

गैलक में आरक्षित बूट खण्ड 14- कुल खण्ड
 261- 53, 42 डेग्रेस भूमि को एन्डर
 खांदा वीरियोजना 001 के तहत में एन्डर
 हेल किसी प्रकार के आपनिमाधवा माध्यम
 किसी भी व्यक्ति द्वारा एन्डर में ले लिए
 है। अतः गैलका वन अधिकार समिति
 द्वारा बुझा बर्ड के 11 दयाभूत बर्ड को
 वीरियोजना विहार 001 के तहत में एन्डर
 हेल किसी भी प्रकार के आपनिमाधवा माध्यम
 अतः एन्डर को बिना किसी आपनिमाधवा
 वीरियोजना के अनुमति में करती है।

गैलका वन अधिकार समिति विहार 001
 वीरियोजना के तहत एन्डर

<u>क्र०</u>	<u>नाम</u>	<u>पद</u>	<u>हस्ता</u>
1	बाबुलाल प्रजापति	प्रा	14/10
2	सुरेश कुमार प्रजापति	अध्यापक	14/10
3	अनारकली		अनारकली
4	रमेश्वरी		
5	मुनिया देवी		
6	रमेश्वरी		
7	माधो सिंह		
8	पर्व		
9	बुधाराज		
10	जगन्नाथ		जगन्नाथ
11	रामलाल सिंह		

(12) राजलक्ष्मण
(13) राम रत्न जवन

राजलक्ष्मण
राम रत्न जवन

(14) भारती सिंह
(15) रमणीश
(16) पंजाबी सिंह
(17) राम सिंह

भारती सिंह
रमणीश

(18) Ramdullu Singh

राम सिंह


(19) Ashish ka tekam

Ashish

(20) सुनील सिंह

सुनील सिंह

(21) धीरा सिंह

धीरा सिंह

(22) धीरू सिंह

धीरू सिंह

(23) संदेश

संदेश

(24) कमलेश सिंह

कमलेश सिंह

(25) सतीश गुप्ता

9198149483 सतीश गुप्ता

(26) सुरेश गिरि

9691333670 सुरेश गिरि


(27) Rohit kr. Gupta, B.Sc (Hrs), Khadia



(28) A. N. mdwqa, (COP) Khadia



(29) J. S. Singh, B.Sc (Hrs), Khadia



(30) Vedant Dwivedi, Asst. Mgr. (Khadia)

Ind. 17/2/25
17/2/25

(31) AMARNATH KUMAR. Manager (CO) KMD

(32) सत्यनारायण फर्गुसॉन फोर्ग्युसॉनी

17/2/25

(33) एम. ए. सिंह राजकुमार निरंजनी

17.02.2025

(34) श्री. एस. बी. शर्मा सत्यनारायण

17.2.25

(35) श्री भारत सिंह उद्योग

17.2.25

मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड कमांक 11 दयानन्द वार्ड दुन्हीचुओं नगर
निगम क्षेत्र जिला सिगरौली (म0प्र0)

कमांक / 7365 / मो0 / समिति / 2025
प्रति,

सिगरौली, दिनांक - 21/12/2025

उपायुक्त महोदय,
नगरपालिक निगम
सिगरौली,

बिषय:- एन0सी0एल0 खड़िया परियोजना के पक्ष में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार के दावों के निराकरण करने हेतु मोहल्ला वन समिति वार्ड कमांक 11 की बैठक एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक / 7365 / न0नि0/वन अ0/2025 दिनांक -09.01.2025

महोदय,

उपरोक्त बिषान्तर्गत के सम्बन्ध में एन0सी0एल0 खड़िया ओ0सी0पी0बिस्तार परियोजना के पक्ष में नगर निगम अन्तर्गत वन भूमि स्थित रकवा PF 261 में 31.661 हेक्टेयर के स्थान पर 53.142 हेक्टेयर प्रस्तावित है (प्लान संलग्न है) उक्त रकवा नगर निगम सिगरौली क्षेत्र म0प्र0 के अन्तर्गत आता है। अनु सूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में वन अधिकारों के कियान्वयन हेतु वार्ड कमांक 11 दयानन्द वार्ड में गठित मोहल्ला समिति; के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों को पत्र के माध्यम से सूचित कर दावा आपत्ति के संबंध में दस्ता वेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित तिथि को बैठक की सूचना दी गई ;।


छाया (प्रति संलग्न) व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों के दावों को प्राप्त करने के लिए गठित मोहल्ला वन अधिकार समिति की बैठक आफिसर्स क्लब झिगरदह में दिनांक 17/2/2025 को प्रति 11.30 बजे आयोजित की गई है । दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं प्रवसाधारण को सूचना देने के संबंध में बैठक पूर्व सूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया है।


(प्रति संलग्न) उक्त पूर्ण निर्धारित बैठक में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष सचिव एवं सदस्यों के साथ साथ नगर निगम एवं एन0 सी 0 एल के पदाधिकारी मय दस्तावेज के साथ उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थिति सभी व्यक्तियों के वन भूमि के व्यपवर्तन एवं दावों अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई ।


दिनांक 17.02.2025 को उक्त बैठक में वन भूमि स्थित रकबा 53.142 हेक्टेयर को एन0सी0एल0 खड़िया ओ0सी0पी0 के पक्ष में व्यपवर्तन हेतु किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा मान्य दावा किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गये हैं।

अतः मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड क्रमांक 11 दयानन्द वार्ड को खड़िया ओ0सी0पी0 के पक्ष में व्यपवर्तन हेतु किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त व्यपवर्तन को बिना किसी आपत्ति के सर्व सम्मति से किए जानें की अनुशंसा भी करती है। प्रस्तुत प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार एवं बैठक की कार्यवाही विवरण।


अध्यक्ष
मोहल्ला वन
अधिकार समिति


प्रधान अधिकारी
राज्य उप निरीक्षण
मोहल्ला वन (ग.प.)
अधिकारसमिति


प्रभारी अधिकारी
उप कार्यालय (मोहल्ला वन)
राज्य उप निरीक्षण
मोहल्ला वन (ग.प.)
अधिकारसमिति

कार्यालय कलेक्टर - जिला (जनजातीय कार्य विभाग) सिंगरौली

Email id - actw.sgl@mp.gov.in

क्रमांक/2575/ जजाकावि./वन अधि./ 2025

सिंगरौली दिनांक 06/08/2025

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के आयोजित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 06.08.2025 का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत दिनांक 06.08.2025 को दोपहर 03:30 बजे कलेक्टर के सभाकक्ष में कलेक्टर जिला-सिंगरौली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे -

1. श्री चन्द्रशेखर शुक्ला कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
2. श्री अखिल वंसल वन मण्डलाधिकारी/सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
3. श्री मिथिलेश कुमार इवने सहायक आयुक्त/सचिव सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
4. श्रीमती सत्यवती सिंह सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
5. श्री अशोक सिंह पैगाम सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।

बैठक आरम्भ के दौरान सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली द्वारा बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु DLC से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जिसमें SDLC बैढ़न (नगरीय) से 01 एवं SDLC बैढ़न (ग्रामीण) से 01 प्रस्ताव व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्त हुये है -

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-1

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत सिंगरौली जिले में महाव्रबन्धक खडिया परियोजना नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड को काल उत्खनन हेतु वार्ड क्रमांक 11 दुद्धीचुआ के कक्ष क्रमांक PF 261 में रकबा 53.142 हे० वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न (नगरीय) के पत्र क्रमांक/2396/उपस्तव.स./2025 दिनांक 03.07.2025 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

(कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग/वन विभाग)

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-2

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत सिंगरौली जिले में कार्यपालन अभियंता (अउदा) म.प्र.ट्रां.कं.लि. सतना द्वारा 132 के.व्ही. DCSS लाईन रजमिलान सबस्टेशन से मेंसर्स EMIL माइंस एण्ड मिनरल रिसोर्स लिमिटेड को आबंटित बंधा कोल ब्लॉक तक ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में आने वाली वनभूमि के कक्ष क्रमांक RF 390, RF 387, RF 384, RF 386, RF 374, RF 366, RF 367, RF 368 एवं Undemarcated Forest Land रकबा 25.023 हे० प्रभावित हो रही है। प्रभावित वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न के पत्र क्रमांक/1980/ वनाधिकार/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

(कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग/वन विभाग)

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-3

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत पूर्व में निरस्त दावों का पुनर्परीक्षण एमपी वनमित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति चितरंगी द्वारा जनजातीय वर्ग के 28, OTFD के 135 तथा बैढ़न से OTFD के 89 कुल 252 दावे अमान्य की अनुशंसा सहित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं। इन दावों का प्रकरणवार परीक्षण कर समिति द्वारा जनजातीय वर्ग के 28 दावों को पुनर्विचार हेतु वापस करने एवं OTFD दावों को निरस्त कर वनमित्र पोर्टल पर अपलोड किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

(कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग)

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल (सामान्य) सिंगरौली

कलेक्टर
जिला-सिंगरौली

सत्यवती सिंह
सदस्य DLC सिंगरौली

आशोक सिंह पैगाम
सदस्य DLC सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक 06/02/2025

पृ.क्रमांक/4546/ जजाकावि./वन अधि./ 2025
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनायें म.प्र. भोपाल।
2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल (सामान्य) सिंगरौली।
3. अनुविभागीय अधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति चितरंगी, बैढ़न, जिला-सिंगरौली
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति चितरंगी, बैढ़न जिला-सिंगरौली
5. महाप्रबंधक खडिया परियोजना नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड जिला-सिंगरौली।
6. कार्यपालन अभियंता (अउदा) म.प्र.ट्रां.कं.लि. सतना को सूचनार्थ।
7. माननीय/माननीया सदस्यगण श्री/श्रीमती जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली को सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला- सिंगरौली